

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

एफ 5/अभि./सीटीएडी/275(1)/good gov./परि. विश्रान्ति ग्रह/19-20/

दि. :

उपायुक्त,

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,

उदयपुर/डूंगरपुर/बांसवाडा/प्रतापगढ़।

विषय : अनुच्छेद 275(1) मद मे good governance अन्तर्गत वादी एवं परिवादी परिवारों के परामर्श (Counselling) एवं जनसुनवाई हेतु कक्ष निर्माण की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि जनजाति उपयोजना क्षेत्र में उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाडा एवं प्रतापगढ़ जिलो में 25 थानो में वादी एवं परिवादी परिवारों के परामर्श (Counselling) एवं जनसुनवाई हेतु कक्ष निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय पत्रांक 5663-72 दिनांक 26.02.2020 एवं 22583-92 दिनांक 25.09.2020 एवं 13436-43 दिनांक 13.07.2020 द्वारा जारी की गयी एवं इन 25 कार्यों हेतु विभागीय पत्रांक 31508-26 दिनांक 24.12.2020 द्वारा कार्यकारी एजेन्सी राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड को नियुक्त किया गया। निम्नलिखित थानो में वादी एवं परिवादी परिवारों के परामर्श (Counselling) एवं जनसुनवाई हेतु कक्ष निर्माण की तकनीकी स्वीकृति कार्यकारी एजेन्सी राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अधिशाषी अभियंता से प्राप्त होने से कॉलम संख्या 3 में वर्णित थानों में परामर्श केन्द्र निर्माण हेतु कॉलम संख्या 6 मे वर्णित राशि की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है।

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	जिला	थानों का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति अनुसार लागत	तकनीकी स्वीकृति क्रमांक/दिनांक	तकनीकी स्वीकृति अनुसार राशि
1	2	3	4	5	6
1	बांसवाडा	कोतवाली	7.00	275/22-01-2021	7.70
2	बांसवाडा	सदर	7.00	276/22-01-2021	7.70
3	बांसवाडा	गढी	7.00	277/22-01-2021	7.70
4	बांसवाडा	पाटन	7.00	278/22-01-2021	7.70
5	बांसवाडा	कुशलगढ	7.00	279/22-01-2021	7.70
6	बांसवाडा	खमेरा	7.00	280/22-01-2021	7.70
7	बांसवाडा	लोहारिया	7.00	281/22-01-2021	7.70
8	बांसवाडा	आंबापुरा	7.00	282/22-01-2021	7.70
9	बांसवाडा	महिला थाना	7.00	283/22-01-2021	7.70
10	बांसवाडा	अरथुना	7.00	284/22-01-2021	7.70
11	प्रतापगढ़	सालमगढ़	7.00	331/08-01-2021	7.00
12	प्रतापगढ़	अरनोद	7.00	332/08-01-2021	7.00
13	प्रतापगढ़	देवगढ़	7.00	334/08-01-2021	7.00
14	प्रतापगढ़	राठजना	7.00	333/08-01-2021	7.00
15	प्रतापगढ़	हथुनिया	7.00	335/08-01-2021	7.00
16	प्रतापगढ़	सुहागपुरा	7.00	336/08-01-2021	7.00
17	प्रतापगढ़	धरियावद	7.00	337/08-01-2021	7.00
18	उदयपुर	ओगणा	7.00	271/22-01-2021	7.65
19	उदयपुर	सलुम्बर	7.00	267/22-01-2021	7.65
20	उदयपुर	कोटडा	7.00	269/22-01-2021	7.65

21	उदयपुर	पानरवा	7.00	268/22-01-2021	7.65
22	उदयपुर	माण्डवा	7.00	267/22-01-2021	7.65
23	डूंगरपुर	दोवडा	7.00	274/22-01-2021	7.65
24	डूंगरपुर	रामसागडा	7.00	273/22-01-2021	7.65
25	डूंगरपुर	वरदा	7.00	272/22-01-2021	7.65
		योग	175.00		187.2

उपरोक्त कार्यो पर राशि का व्यय संविधान की धारा 275(1) मद अन्तर्गत शासन की स्वीकृति संख्या-21/2020-21 द्वारा Counselling center in 25 Police Station हेतु प्राप्त राशि रूपये 175.00 लाख मे से होगा।

शर्त:-

1. यदि स्वीकृत कार्य अन्य किसी योजना में स्वीकृत/सम्पादित किए जा चुके हो तो अविलम्ब इस विभाग को सूचित किया जावे। यदि दोहरा व्यय होता है तो इसकी जिम्मेदारी कार्यकारी एजेन्सी की रहेगी।
2. राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं संशोधन 2013 तथा सामान्य लेखा एवं वित्तीय नियम की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य का सम्पादन गुणवत्तापूर्वक किया जावे।
3. राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यो पर ही तकमीना अनुसार किया जावे। तकमीना के क्रम मे जारी कार्यादेश एवं अन्य नियमानुसार राशि से अधिक व्यय इस विभाग की पूर्वानुमति के बिना नही किया जावे।
4. विस्तृत तकमीने एवं तकनीकी स्वीकृति अनुसार समय पर निविदाएं आमंत्रित कराई जाकर निर्धारित समयावधि मे कार्य सम्पन्न कराया जाये। कार्यादेश की प्रति इस विभाग को भिजवाये।
5. निविदा आदि कारणो से कार्य मे विलम्ब के कारण लागत मे वृद्धि होती है तो कार्यकारी एजेन्सी जिम्मेदार होगी।
6. स्वीकृत कार्यो का third party inspection समय-समय पर करवाया जायेगा। निरीक्षण में पाई गई कमियों को दुरस्त/ठीक करने की जिम्मेदारी कार्यकारी एजेन्सी की होगी।
7. उपयोगिता प्रमाण पत्र उपायुक्त टीएडी के माध्यम से प्राप्त होने पर समायोजन किया जावेगा।
8. कार्य पूर्ण होने पर कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र मय फोटोग्राफ के साथ बचत राशि पुनः विभाग को लोटावे। स्वीकृत कार्य की geo-tagging कर soft copy मे comm.tad@gmail.com पर प्रेषित कराना सुनिश्चित करावे।

sd
(जितेन्द्र कुमार उपाध्याय)I.A.S
आयुक्त

दिनांक : 06/02/2021

क्रमांक यथोपरि/ 4404 - 22

प्रतिलिपि -

1. निजी सचिव, मां.मंत्री महो. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
3. महानिदेशक, पुलिस, राजस्थान जयपुर।
4. प्रशासक, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, कृषि पंत भवन, जयपुर।
5. महानिरीक्षक, पुलिस रेंज, उदयपुर।
6. पुलिस अधीक्षक, उदयपुर/डूंगरपुर/बांसवाड़ा/प्रतापगढ़।

कृ.प.उ.

7. अतिरिक्त मुख्य अभियंता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, कृषि पंत भवन, जयपुर।
8. अधिशाषी अभियंता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, कृषि उपज मण्डी, उदयपुर/भीलवाडा।
9. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा को भेज कर लेख है कि संविधान के अनुच्छेद 275(1) अन्तर्गत शासन की स्वीकृति संख्या 21/2020-21 में Counselling center in 25 Police Station हेतु प्राप्त राशि रूपये 175.00 लाख में से निम्नानुसार संबंधित जिले में हस्तांतरित करावे-

क्र.सं.	जिला	राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड	उपायुक्त, टीएडी	योग
1	बांसवाडा	50.00	20.00	70.00
2	प्रतापगढ़	35.00	14.00	49.00
3	उदयपुर	25.00	10.00	35.00
4	डूंगरपुर	15.00	6.00	21.00
	योग	125.00	50.00	175.00

10. मोनिटरिंग, कार्यालय हाजा।

11. कम्प्यूटर शाखा, कार्यालय हाजा।

12. गार्ड फाईल।

10

अतिरिक्त आयुक्त
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
उदयपुर